

**फार्म डी - 6**  
**(देखें नियम-4)**

**गारण्टी विमोचन निधि (जी.आर.एफ.)**

**(राशि ₹ करोड़ में)**

| पिछले वर्ष के अंत में याचित बकाया गारण्टी | पिछले वर्ष के अंत में जी.आर.एफ. में बकाया राशि | चालू वर्ष के दौरान याचना संभावित बकाया गारण्टी | चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. में जोड़ | चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. से आहरण | चालू वर्ष के अंत में जी.आर.एफ. में बकाया राशि |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3  | 4                                     | 5                                    | 6   |
|   |  |  |                                       |                                      |   |

**टिप्पणियाँ:**

1. जी.आर.एफ. के नियमानुसार, हर वर्ष के दौरान सरकार से अपेक्षित है कि याचित बकाया गारण्टियों के न्यूनतम 1/5 की समान राशि तथा वर्ष के दौरा जारी वर्धित गारण्टियों के परिणाम स्वरूप याचित समराशि का अंशदान करें ।
2. पिछला वर्ष से तात्पर्य है कि वर्ष का पहला वर्ष ।